PLUTUS IAS

PLUTUS IAS
UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

20/01/2025 से 26/01/2025 तक

THE HINDU

pib
पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

The Indian EXPRESS

कार्यालय

दूसरी मंज़िल, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

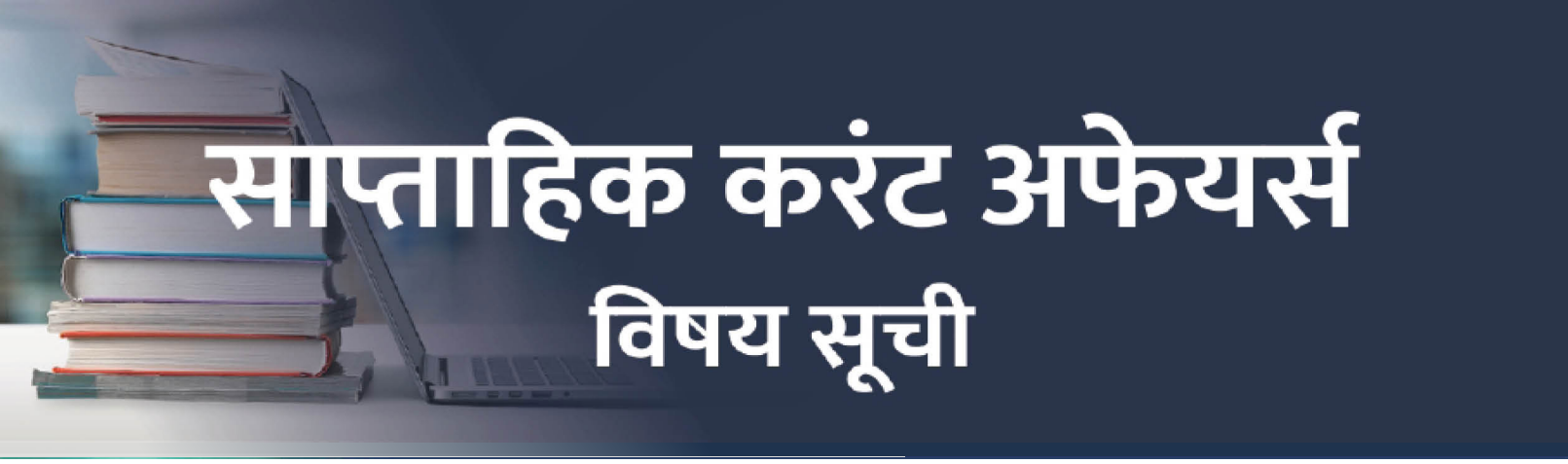

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. प्रवासी भारतीय दिवस 2025.....1
2. भारत के अंतरिक्ष मिशनों की नई उड़ान : इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी.....4
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक : ट्रेंइस 2025 रिपोर्ट जारी.....7
4. विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी.....9
5. राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025.....12
6. भारत – पाकिस्तान और सिंधु जल समझौता : संघर्ष बनाम सहमति.....15

PLUTUS IAS

प्रवासी भारतीय दिवस 2025

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया।
- 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय – ' विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान ' है।
- यह सम्मेलन प्रत्येक दो वर्षों में 9 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रवासियों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान को प्रकाश में लाना होता है।

18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, 2025 :

- भारत के ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।
- इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्स-प्रेस का उद्घाटन किया, जो भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है।
- यह ट्रेन भारत के विदेश मंत्रालय की प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही है।
- इसके अतिरिक्त, गुजरात के मांडवी और ओमान के मस्कट के बीच प्रवास करने वाले व्यक्तियों के दुर्लभ दस्तावेजों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया।
- प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता से पूर्व भारत से भेजे गए गिरमिटिया मजदूरों के महत्व को भी रेखांकित किया, जिन्हें फिजी, त्रिद्द निदाद, टोबैगो और मॉरीशस जैसे देशों में काम करने के लिए भेजा गया था।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में इन गिरमिटिया मजदूरों के बारे में एक विस्तृत डाटाबेस बनाने का सुझाव भी दिया गया।

प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA) :

- प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA), जो प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया जाता है, इस सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण था।
- यह पुरस्कार किसी भी अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) या उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को दिया जाता है, जिन्होंने विदेशों में भारत के उद्देश्यों का समर्थन किया और स्थानीय भारतीय समुदाय के कल्याण की दिशा में कार्य किया है।

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) :

- प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है, महात्मा गांधी के सन 1915 ई. में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की घटना की याद में मनाया जाता है।
- प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को रेखांकित करना, भारत के बारे में विदेशों में बेहतर समझ विकसित करना और प्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ने का एक मंच प्रदान करना है।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत सन 2003 ई. में हुई थी।
- इस दिवस को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

डायस्पोरा और प्रवासी भारतीय समुदाय :

- 'डायस्पोरा' शब्द ग्रीक शब्द "डायस्पेरो" से आया है, जिसका अर्थ होता है – ' प्रसार '। भारतीय डायस्पोरा की शुरुआत गिरमिटिया मजदूरों से हुई, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और इसकी पहचान को विभिन्न देशों में फैलाया। समय के साथ, प्रवासी भारतीय समुदाय कई देशों में फैला, जिससे भारतीयों का वैश्विक पहुँच और नेटवर्क अत्यधिक मजबूत हुआ।

प्रवासी भारतीय समुदाय का वर्गीकरण :

- अनिवासी भारतीय (NRI) : ये वे भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में निवास करते हैं। उन्हें NRI माना जाता है यदि वे एक वर्ष में 182 दिनों से कम या पिछले चार वर्षों में 365 दिनों से कम भारत में रहे हों।
- भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) : यह श्रेणी उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो या वे भारतीय नागरिक के जीवनसाथी हों।
- प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) : यह श्रेणी उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारतीय नागरिकता के पात्र थे या किसी ऐसे क्षेत्र के निवासी थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना था।

प्रवासी भारतीयों का भौगोलिक वितरण :

प्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या विभिन्न देशों में बसी हुई है। उदाहरण के लिए –

- USA : 5,409,062 UK : 1,864,318 संयुक्त अरब
- अमीरात : 3,568,848 सऊदी अरब : 2,463,509 दक्षिण
- अफ़्रीका : 1,700,000 कनाडा : 2,875,954 म्याँमार
- : 2,002,660 मलेशिया : 2,914,127 कुवैत
- : 995,528 ओमान : 686,63 5 यह आंकड़े भारतीय प्रवासियों के वैश्विक प्रभाव को दर्शाते हैं, जो भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका :

1. **समावेशी विकास और भारत के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान :** प्रवासी भारतीय अपने धन प्रेषण और निवेश के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान करते हैं। वे भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और साझेदारी बढ़ाने के जरिए व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार, वे वंचित क्षेत्रों को सशक्त करने और भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए – एक अमेरिकी NRI द्वारा आविष्कृत थोरियम आधारित ईंधन ANEEL को स्वच्छ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में लागू किया जा रहा है।

2. **सीमापार साझेदारी, निवेश और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने में योगदान :** प्रवासी भारतीय सीमापार साझेदारी, निवेश और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हुए भारत के निर्यात आधार को विस्तारित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे वैश्विक व्यापार में भारत के उत्पादों और सेवाओं की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं।

3. **उभरते हुए बाजारों में व्यापारिक साझेदारियों का नेतृत्व और नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने में सहायक :** प्रवासी भारतीय उभरते हुए बाजारों में व्यापारिक साझेदारियों का नेतृत्व करते हैं, जिससे आपसी विकास के अवसर उत्पन्न होते हैं। साझा संसाधनों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत को उच्च विकास वाले वैश्विक बाजारों में प्रवेश की गति मिलती है, जो इसके समग्र विकास में सहायक है।

4. **सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व में अहम भूमिका निभाते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहायक :** प्रवासी भारतीय समुदाय पर्यावरणीय प्रयासों और जलवायु परिवर्तन की वकालत करने में सक्रिय भागीदार हो सकता है। इस तरह, वे भारत को सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का उपयोग करते हुए वे वैश्विक नीतियों को आकार देने और भारत के विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में भी सहायक हो सकते हैं।

5. **भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रचार करने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में सहायक :** प्रवासी भारतीय अपने मेज़बान देशों में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रचार करते हैं, जिससे सांस्कृतिक संबंधों में मजबूती आती है। उदाहरण स्वरूप – अमेरिका के विभिन्न राज्यों में दिवाली को अवकाश के रूप में घोषित करना सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक प्रमुख उदाहरण है।

प्रवासी भारतीयों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **सांस्कृतिक पहचान और मेज़बान समाज में एकीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना :** प्रवासी भारतीयों को अक्सर अपनी सांस्कृतिक पहचान और मेज़बान समाज के साथ एकीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाइयाँ होती हैं। इससे उन्हें अलगाव का अनुभव हो सकता है और सांस्कृतिक धरोहर की हानि हो सकती है। कई बार, विभिन्न देशों में सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर के कारण संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं।

2. **राजनीतिकरण और धार्मिक भय :** पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में हिंदू और सिख समुदायों के खिलाफ राजनीतिकरण और धार्मिक भेदभाव के बढ़ते मामले सामाजिक एकता में रुकावट डालते हैं। यह प्रवासी भारतीयों के सामाजिक समागम और एकीकरण को कठिन बनाता है।

3. **नागरिकता अधिकार और आव्रजन कानूनों की जटिलताओं का सामना करना :** प्रवासी भारतीयों को अक्सर वीज़ा स्थिति, नागरिकता अधिकार और आव्रजन कानूनों की जटिलताएँ प्रवासी भारतीयों के लिए समस्या का कारण बन सकती हैं, विशेष रूप से उन देशों में जहाँ सख्त आव्रम जन नीतियाँ लागू हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में H-1B वीज़ा को लेकर बढ़ती समस्याएँ भारतीय प्रवासियों के लिए नाराजगी का कारण बन रही हैं।

4. **बैंकिंग समस्याएँ और धन प्रेषण में चुनौतियों का सामना करना :** आर्थिक अस्थिरता, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और बैंकिंग समस्याएँ प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में भेजे गए धन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे उन परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जो इस सहायता पर निर्भर होते हैं।

प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें :

1. NRI के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना
2. मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएँ
3. भारत को जानो कार्यक्रम
4. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड योजना
5. भारतीय समुदाय कल्याण कोष (ICWF)
6. प्रवासी भारतीय केंद्र
7. प्रवासी भारतीयों का भारत विकास फाउंडेशन (IDF-OI)

इन सरकारी पहलों के माध्यम से, प्रवासी भारतीयों की स्थिति को सुधारने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

समाधान / आगे की राह :

1. **प्रवासी समुदाय के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक :** प्रवासी समुदाय के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उन्हें मेज़बान देशों में समान अवसर, भेदभाव से सुरक्षा और आव्रजन कानूनों के तहत न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो सके।

2. **कुशल और सुलभ कांसुलर सेवाओं की अत्यंत आवश्यकता :** प्रवासी समुदाय के विभिन्न कानूनी और वित्तीय मुद्दों को हल करने के लिए कुशल और सुलभ कांसुलर सेवाओं की आवश्यकता है। नियमित आउटरीच कार्यक्रम और काउंसलिंग सेवाएँ प्रवासी नागरिकों को अपनी मातृभूमि के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद कर सकती हैं।

3. **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की जरूरत :** सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से प्रवासी और मेज़बान देशों के बीच बेहतर संवाद और समझ का निर्माण किया जा सकता है। विशेष रूप से, जहाँ सांस्कृतिक मतभेदों के कारण संघर्ष उत्पन्न होते हैं, वहाँ एक ऐसा वातावरण तैयार करना आवश्यक है जो विविधता की सराहना और सम्मान करता हो।

4. **सरल निवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने की जरूरत :** भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता और सरल निवेश प्रक्रियाओं जैसे प्रोत्साहनों की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप – सीमा-पार भुगतान में UPI जैसी प्रौद्योगिकी का विस्तार करके धन-प्रेषण की प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है, जैसा कि सिंगापुर में किया गया है।

5. **कौशल विकास और ज्ञान हस्तांतरण को बढ़ावा देने की जरूरत :** प्रवासी भारतीयों और भारत के बीच प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और शिक्षा के क्षेत्रों में ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इससे भारत में कौशल विकास और नवाचार में वृद्धि होगी, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा।

निष्कर्ष :

- भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए, वर्ष 2047 के लिए एक साझा दृष्टिकोण का निर्माण करेगा, जिसमें प्रवासी समुदाय की निरंतर और संरचित भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। विकसित भारत के दृष्टिकोण में दीर्घकालिक लक्ष्यों और रोडमैप को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ – ही – साथ ही युवा प्रवासियों को भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। युवा भारतीय प्रवासियों के नवीन विचार और वैश्विक अनुभव भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन संबंधों को सशक्त बनाने से हम एक विकसित देश के साथ ही समृद्ध और समग्र भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। प्रवासी भारतीयों के सहयोग और साझा उद्देश्य के माध्यम से हम वर्ष 2047 तक एक जीवंत और विकसित भारत की दिशा में काम कर सकते हैं।

स्त्रोत – पीआईबी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय प्रवासी एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया।
2. प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 मलेशिया के प्रधानमंत्री को दिया गया।
3. ओडिशा सरकार द्वारा ' भारत को जानो कार्यक्रम ' प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए शुरू की गई है।
4. इस सम्मेलन में गिरमिटिया मजदूरों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 4

C. केवल 2 और 4

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्देश्य और महत्व एवं प्रवासी भारतीयों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों और भारत सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए शुरू की गई पहलों का विश्लेषण करते हुए यह चर्चा करें कि प्रवासी भारतीयों के सहयोग से भारत 2047 तक किस प्रकार एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बन सकता है? (शब्द सीमा- 250 अंक – 15)

भारत के अंतरिक्ष मिशनों की नई उड़ान : इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड (Third Launch Pad – TLP) की स्थापना करने के लिए स्वीकृति दे दी है।
- इस तीसरे लॉन्च पैड की क्षमता ऐसी होगी कि यह निम्न भू कक्षा में 30,000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यानों को प्रक्षिप्त कर सकेगा।
- इसे विशेष रूप से NGLV, अर्ध-क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM3 यानों और स्केल-अप NGLV विन्यासों को सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है।

भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली की वर्तमान स्थिति :

1. **लॉन्च पैड्स पर निर्भरता :** वर्तमान में, भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली मुख्यतः दो प्रमुख लॉन्च पैड्स पर ही निर्भर करती है।
2. **प्रथम लॉन्च पैड (FLP) :** इसे लगभग 30 वर्ष पहले PSLV के लिए स्थापित किया गया था और यह PSLV एवं SSLV को लॉन्च करने में सहायक है।
3. **द्वितीय लॉन्च पैड (SLP) :** यह विशेष रूप से GSLV और LVM3 के लिए निर्मित किया गया था, लेकिन इसको PSLV के लिए वैकल्पिक समर्थन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।
4. **SLP की परिचालन क्षमता :** यह पैड पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है और इसी लॉन्च पैड पर ही चंद्रयान-3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके साथ – ही – साथ, भारत की आगामी गगनयान मिशन को प्रमोचन करने की तैयारियाँ भी इसी लॉन्च पैड से की जा रही हैं।

सतीश धवन का परिचय :

- सतीश धवन, जो श्रीनगर में जन्मे थे, भारत के प्रसिद्द रॉकेट वैज्ञानिक थे और उन्हें ' प्रायोगिक द्रव गतिकी के जनक (Father of Experimental Fluid Dynamics) ' के रूप में भी जाना जाता है।
- सन 1972 ई. में उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संक्र स्थापक विक्रम साराभाई के बाद इसरो के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी।
- उनके मार्गदर्शन में इसरो ने INSAT, IRS और PSLV जैसी प्रमुख प्रणालियाँ स्थापित कीं, जिससे भारत का स्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC SHAR) :

- सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो पुलिकट झील और बंगाल की खाड़ी के बीच एक द्वीप पर स्थित है।
- यह इसरो का प्रमुख अंतरिक्ष बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह एवं प्रक्षेपण यान मिशनों हेतु विश्वस्तरीय प्रक्षेपण सुविधाएँ प्रदान करता है।
- **नाम परिवर्तन :** SHAR जिसे पहले (श्रीहरिकोटा रेंज) के नाम से जाना जाता था, इसका नाम 2002 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष प्रो. सतीश धवन के सम्मान में बदल दिया गया।
- **प्रारंभिक परिचालन :** SDSC SHAR ने 9 अक्टूबर, 1971 को अपना पहला मिशन ' रोहिणी-125 ' साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करके संचालन की शुरुआत की थी।
- **प्रक्षेपण स्थल चयन :** इस स्थान का चयन 1960 के दशक में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में किया गया था।

तीसरे लॉन्च पैड (TLP) का परिचय :

- **उद्देश्य :** TLP का मुख्य उद्देश्य श्रीहरिकोटा में एक उन्नत लॉन्च अवसंरचना स्थापित करना है, जो ISRO के आगामी उन्नत प्रक्षेपण वाहनों (NGLV) को समर्थन प्रदान करेगा।
- **भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए अतिरिक्त लॉन्च क्षमता प्रदान करने में सहायक :** यह पैड दूसरा लॉन्च पैड के बैकअप के रूप में कार्य करेगा और भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए अतिरिक्त लॉन्च क्षमता प्रदान करेगा

श्रीहरिकोटा को प्रक्षेपण स्थल के रूप में चुनने का मुख्य कारण :

1. **पूर्वी तट पर अवस्थिति :** श्रीहरिकोटा का पूर्वी तट पर स्थित होना रॉकेटों को पूर्व दिशा में प्रक्षेपित करने के लिए आदर्श बनाता है। इससे पृथ्वी के घूर्णन का लाभ उठाकर रॉकेट को अतिरिक्त वेग प्राप्त होता है, जिससे प्रक्षेपण में लगभग 450 मीटर/सेकंड की वृद्धि होती है, जो पेलोड की क्षमता को बढ़ाता है।
2. **भूमध्य रेखा के निकट होना :** भूस्थिर उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए यह स्थल उपयुक्त है, क्योंकि पृथ्वी के भूमध्य रेखा के निकट होने से प्रक्षेपण और अधिक कुशल बनता है। प्रक्षेपण स्थल का भूमध्य रेखा के करीब होना, प्रक्षेपण की गति और क्षमता को बेहतर बनाता है।
3. **निर्जन क्षेत्र और समुद्र के पास स्थित होना :** श्रीहरिकोटा का स्थान समुद्र के निकट और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में होने के कारण रॉकेट के गिरने के बाद सुरक्षित रूप से समुद्र में गिरने की संभावना रहती है। इससे उड़ान के दौरान किसी भी दुर्घटना के खतरे से बचाव होता है, क्योंकि रॉकेट के अलग हुए हिस्से महासागर में गिरते हैं, जो श्रीहरिकोटा नामक जगह पर न केवल सुरक्षित है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी जोखिम मुक्त है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

इसरो के तीसरे लॉन्च पैड कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति :

1. **सार्वभौमिक डिज़ाइन :** TLP को विभिन्न वाहन विन्यासों का समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें NGLV, LVM3 के सेमिक्रायोजेनिक स्टेज और NGLV के उन्नत संस्करण शामिल हैं।
2. **परियोजना में उद्योग की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना :** इस परियोजना में इसरो के पिछले अनुभवों का उपयोग करते हुए उद्योग को अधिकतम सहयोग दिया जाएगा।
3. **मौजूदा सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करना :** TLP मौजूदा लॉन्च कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ उठाएगा।
4. **परियोजाना को पूरा करने की समय सीमा :** इस परियोजना को 4 वर्षों या (48 महीनों) में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
5. **परियोजना की लागत और वित्तीय संसाधनों की पूर्ति :** इसरो के इस महत्वकांक्षी परियोजना के लिए ₹3,984.86 करोड़ की लागत का अनुमान है, जिसमें लॉन्च पैड और अन्य संबंधित सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है।
6. **लाभार्थियों की संख्या :** यह परियोजना उच्च प्रक्षेपण आवृत्तियों को सक्षम करके तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष खोज अभियानों को शुरू करने की राष्ट्रीय क्षमता को सक्षम करके भारतीय अंतरिक्ष इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी।

इसरो के तीसरे लॉन्च पैड कार्यक्रम का महत्व और भविष्य की कार्यनीति :

1. यह भारत की लॉन्च क्षमता को बढ़ाकर अधिक बार और अधिक प्रभावशाली मिशनों के लिए तैयार करेगा।
2. यह मानव अंतरिक्ष उड़ान और उन्नत अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा।
3. भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रौद्योगिकी विकास में तेजी आएगी।
4. भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में, जैसे कि 2040 तक चंद्रमा पर मानव लैंडिंग और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना, भारी प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता होगी, जिन्हें मौजूदा लॉन्च पैडों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है।
5. 2024 में वाणिज्यिक और छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए ISRO के दूसरे रॉकेट लॉन्चपोर्ट की नींव रखी जाएगी, जो तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में स्थित होगा, और इससे श्रीलंका के ऊपर डॉगलेग पैंतरेबाज़ी से बचने में मदद मिलेगी।

आगे की राह :

- भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र और उन्नत अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है, और श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह कदम आगामी अंतरिक्ष अभियानों को तेज़ी से प्रक्षिप्त करने की क्षमता प्रदान करेगा, जिससे भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान और उन्नत अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की सफलता और गति में और अधिक वृद्धि करेगा।

स्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इसरो के तीसरे लॉन्च पैड (TLP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसरो के तीसरे लॉन्च पैड (TLP) को भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए अतिरिक्त लॉन्च क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
2. TLP केवल PSLV और GSLV वाहनों के लिए बनाए गए हैं।
3. तीसरे लॉन्च पैड (TLP) का निर्माण 10 वर्षों में पूरा होने का अनुमान है।
4. यह लॉन्च पैड NGLV, अर्ध-क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM3 यानों और उनके उन्नत संस्करणों का समर्थन करेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 1 और 4

C. केवल 2 और 3

D. केवल 2 और 4

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. इसरो के तीसरे लॉन्च पैड (TLP) के मुख्य उद्देश्य, इसकी विशेषताएँ, कार्यान्वयन रणनीति और संभावित लागत को रेखांकित करते हुए, यह चर्चा कीजिए कि इस परियोजना का भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य के मिशनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक : ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट जारी

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अपनी " वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025 " रिपोर्ट को जारी/ प्रकाशित किया है, जिसमें यह बताया गया कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5% तक नीचे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
- "वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025" रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि इसके पीछे प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर मंद आर्थिक सुधार, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और श्रम बाज़ार को प्रभावित करने वाली सामाजिक अनिश्चितताएँ जैसी विभिन्न चुनौतियाँ रही हैं।

WESO ट्रेंड्स 2025 रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु :

1. **वैश्विक स्तर पर बेरोज़गारी की स्थिति :** वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोज़गारी दर 5% पर स्थिर रही, लेकिन युवा बेरोज़गारी दर 12.6% के उच्च स्तर पर बनी रही। उच्च-मध्यम आय वाले देशों में यह दर 16% और निम्न आय वाले देशों में 8% रही, जहां अल्प-रोज़गार और अनौपचारिक कार्य इसका प्रमुख कारण हैं।

2. **श्रम बाजार में असमानताएँ होना :** रोजगार वृद्धि मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में उप-सहारा अफ्रीका में हुई है , जहां श्रमिकों को स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। वैश्विक स्तर पर लगभग 62.6% परिवार 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से कम पर जीवनयापन कर रहे हैं। अन्य विकासशील देशों में भी रोजगार बढ़ा है, लेकिन श्रमिक असुरक्षित और कम वेतन वाले कार्यों में लगे हुए हैं।

3. **आर्थिक विकास :** वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.2% रही, जो 2023 और 2022 के मुकाबले कम थी। रिपोर्ट में 2025 में भी इसी तरह के विस्तार का अनुमान है, हालांकि इसके बाद मंदी की संभावना जताई गई है।

4. **वैश्विक रोजगार अंतराल का उत्पन्न होना :** वर्ष 2024 में 402 मिलियन लोग रोजगार पाने में असमर्थ रहे, जिनमें 186 मिलियन बेरोज़गार, 137 मिलियन हतोत्साहित श्रमिक और 79 मिलियन लोग देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण रोजगार से बाहर रहे। हालांकि, कोविड-19 के बाद यह अंतर कम हुआ है, लेकिन भविष्य में स्थिर रहने की संभावना है।

5. **श्रम बल भागीदारी में बदलाव आना :** उन्नत देशों में श्रम बल में वृद्धि हुई है, खासकर वृद्ध श्रमिकों और महिलाओं के बीच, जबकि निम्न आय वाले देशों में इसमें गिरावट आई है, जिससे वैश्विक रोजगार वृद्धि में मंदी आई है।

6. **NEET (Not in Education, Employment or Training) के आंकड़े :** वर्ष 2024 में 259.1 मिलियन लोग शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं थे, जिनमें से 85.8 मिलियन पुरुष और 173.3 मिलियन महिलाएं थीं। LIC देशों में NEET दर में वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से पुरुषों में महामारी-पूर्व स्तर से 4% अधिक।

7. **विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण का असंतुलित हो जाना और ऋण संकट :** उच्च ब्याज दरों और आर्थिक संकटों के कारण विकासशील देशों में सार्वजनिक ऋण असंतु-

लित हो गया है। लगभग 70 देश ऋण संकट के जोखिम में हैं, जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की तुलना में ऋण भुगतान पर अधिक खर्च हो रहा है।

8. **वेतन वृद्धि में स्थिरता :** महामारी के बाद रोजगार वृद्धि कम होने और श्रम बाजार में बदलाव के कारण वास्तविक वेतन वृद्धि में कमी आई है।

9. **हरित परिवर्तन और रोजगार :** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2023 में 16.2 मिलियन रोजगार उत्पन्न हुए, जो 2022 के मुकाबले अधिक है। हालांकि, इसका लाभ असमान रूप से वितरित हुआ है, जिसमें 46% तक का लाभ चीन को मिला है।

10. **डिजिटल क्षेत्र में संभावनाएँ :** डिजिटल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ तो हैं, लेकिन कई देशों में इस क्षेत्र में लाभ उठाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और कुशल श्रमिकों की कमी है।

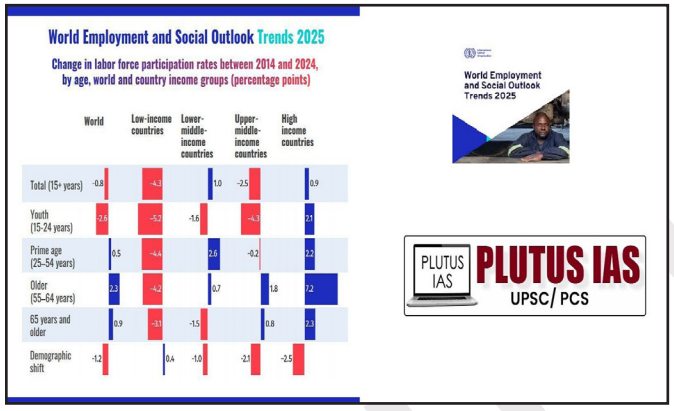

वर्ष 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ILO की मुख्य सिफारिशें :

1. **प्रेषण का प्रभावी उपयोग करने के लिए सरकारों द्वारा एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की जरूरत :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने निम्न-आय वाले देशों (LICs), विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में, सलाह दी है कि वे प्रेषण को केवल उपभोग के बजाय, इसे लाभकारी निवेश में बदलने का प्रयास करें। इसके लिए सरकारें एक प्रभावी तंत्र स्थापित कर सकती हैं, जिसके माध्यम से प्रेषण धन को निवेश निधियों में समेकित किया जाए, जिससे निजी क्षेत्र की वृद्धि और दीर्घत्र कालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

2. **संरचनात्मक स्तर पर सुधार करने की जरूरत :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने देशों से अनुरोध किया है कि वे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए, उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के साथ-साथ आधुनिक सेवाओं और विनिर्माण पर जोर देने की आवश्यकता है, ताकि संरचनात्मक अवरोधों को समाप्त किया जा सके।

3. **युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि वे आधुनिक श्रम बाजारों में प्रतिस्पर्धी बन सकें। साथ ही, उन्हें हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी जैसे उभरते हुए उद्योगों में आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए सक्षम किया जाना चाहिए।

4. **वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने यह सिफारिश की है कि देशों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ताकि सतत विकास और समावेशी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) :

- **मुख्यालय :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है।
- **स्थापना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के अंतर्गत सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और वैश्विक श्रम परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।
- **सदस्यता :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 187 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है और यह संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र का पहला और एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, ताकि निर्णय प्रक्रिया में संतुलन और समानता बनी रहे।
- **प्रमुख सम्मेलन :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 190 सम्मेलन अपनाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं –

- **कन्वेंशन संख्या 87 (1948) :** संगठन की स्वतंत्रता और संघ बनाने के अधिकार का संरक्षण।
- **कन्वेंशन संख्या 98 (1949) :** संगठित होने और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार।
- **कन्वेंशन संख्या 138 (1973) :** रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना।
- **कन्वेंशन संख्या 182 (1999) :** बाल श्रम के सबसे कष्टप्रद रूपों का उन्मूलन।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का महत्त्व :

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक स्थापित करता है, उचित कार्य को बढ़ावा देता है और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के कार्यान्वयन में विशेष रूप से लक्ष्य-8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान करता है।
- सामाजिक न्याय के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- **त्रिपक्षीय संरचना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक त्रिपक्षीय संरचना में कार्य करता है, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो नीति-निर्माण और श्रम प्रशासन में संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का मुख्य कार्य :

- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना :** ILO सभी के लिए उचित कार्य को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में काम करता है।
- **रोजगार में भेदभाव के उन्मूलन के लिए प्रमुख श्रम मानक निर्धारित करना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) बलपूर्वक किए जानेवाला श्रम, बाल श्रम और रोजगार में भेदभाव जैसी गंभीर समस्याओं के उन्मूलन के लिए प्रमुख श्रम मानक निर्धारित करता है।
- **वैश्विक श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्टों, जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वैश्विक श्रम नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- **समावेशी और सतत् रोजगार नीतियों की सिफारिश करना :** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) समावेशी और सतत् रोजगार नीतियों की सिफारिश करता है, जिनमें विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और वंचित समूहों के लिए अच्छे कार्य अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सिफारिशें की हैं?

1. सरकारों को प्रेषण का प्रभावी उपयोग करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।
2. देशों को सिर्फ वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, अन्य पहलुओं की आवश्यकता नहीं है।
3. युवा श्रमिकों को उच्चतम तकनीकी कौशल प्राप्त कराना चाहिए।
4. संरचनात्मक सुधारों में निवेश कर के क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 3

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी ' वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक (WESO): ट्रेंड्स 2025 ' रिपोर्ट में युवा बेरोज़गारी दर और उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए, ILO की 2030 तक सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए प्रमुख सिफारिशों की विवेचना कीजिए।
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 2025 के लिए वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की है।
- इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, पुराने तकनीकी ढाँचों और साइबर सुरक्षा में आवश्यक कौशल की कमी के कारण महत्वपूर्ण ढाँचों को बढ़ते साइबर खतरों से होने वाले जोखिमों पर चिंता जताई गई है।
- इसके साथ – ही – साथ ही, साइबर खतरों से होने वाले जोखिमों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने और इसके ढाँचों की लचीलापन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

क्या है विश्व आर्थिक मंच (WEF) ?

- विश्व आर्थिक मंच एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है।
- इस मंच पर वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं।
- मुख्यालय: इसकामुख्यालयस्विट्ज़रलैंडकेजिनेवामेंस्थितहै। स्थापना : इस संगठन की स्थापना वर्ष 1971 में जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी, और इसका प्रारंभिक नाम "यूरोपीय प्रबंधन मंच" था।

ग्लोबल साइबर सिक्यूरिटी इंडेक्स (GCI) :

- यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें देशों की साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है।
- भारत ने GCI 2024 के पांचवें संस्करण में ' टियर 1 ' श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है, जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है।

वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में उल्लिखित प्रमुख मुद्दे :

1. **महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुभेद्यता :** जल, जैव सुरक्षा, संचार, ऊर्जा और जलवायु जैसे क्षेत्र पुराने तकनीकी ढाँचों और आपसी निर्भरता के कारण साइबर हमलों से प्रभावित हो सकते हैं। साइबर अपराधी और राज्य अभिकर्त्ता इन क्षेत्रों में परिचालन प्रौद्योगिकी को लक्षित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक डेटा प्रवाह में खतरे उत्पन्न हो रहे हैं।
2. **भू-राजनीतिक तनाव :** रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों ने ऊर्जा, दूरसंचार और जल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर और भौतिक हमलों को बढ़ा दिया है। लगभग 60% संगठनों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनावों के कारण उनकी साइबर सुरक्षा रणनीतियाँ प्रभावित हुई हैं।
3. **जैव सुरक्षा संबंधी खतरे :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने जैव सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा दिया है। जैव प्रयोगशालाओं पर साइबर हमलों से अनुसंधान और सुरक्षा प्रोटोकॉल को खतरा हो सकता है। WHO ने इस मुद्दे पर चेतावनी दी है, जैसा कि

2024 में दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में हुए हमलों से स्पष्ट हुआ है।

4. **साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल का बढ़ना :** इस रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा कौशल में बड़े अंतराल को उजागर किया गया है। वर्तमान में दुनिया भर में 4.8 मिलियन पेशेवरों को आवश्यक योग्यताओं की कमी है। दो-तिहाई संगठनों को इस कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से केवल 14% के पास वर्तमान साइबर सुरक्षा परिदृश्य के लिए योग्य कार्मिक हैं।

5. **क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा असमानताएँ :** इस रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों के बीच साइबर सुरक्षा में असमानताओं को उजागर किया गया है। उदाहरण स्वरूप, यूरोप/उत्तरी अमेरिका में 15% से बढ़कर अफ्रीका में 36% और लैटिन अमेरिका में 42% तक साइबर हमलों के प्रति प्रतिक्रिया में देरी हो रही है।

6. **साइबर अपराध का बढ़ता खतरा :** साइबर अपराध अब एक सुरक्षित और आकर्षक व्यापार बन चुका है, जिसमें कम परिष चालन खर्च और उच्च लाभ की संभावना है। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (FBI) का अनुमान है कि 2023 में साइबर अपराध से होने वाली वित्तीय हानि 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है।

समाधान / आगे की राह :

1. **साइबर सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से निवेश को प्राथमिकता देने अत्यंत जरूरत :** वर्ष 2025 के वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य में, सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे पुरानी प्रणालियों को उन्नत करें और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे जल, ऊर्जा व जैव सुरक्षा की रक्षा के लिए साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाएं। वर्ष 2022 में कोस्टा रिका पर हुए साइबर हमले ने यह स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा को केवल एक खर्च के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ साइबर सुरक्षा में निवेश को संतुलित करना बेहद आवश्यक है।

2. **साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की जरूरत :** साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग आवश्यक है, जिसमें खुफिया जानकारी साझा करना और सुरक्षित प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना शामिल है। SMEs को सरकार से मजबूत प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वे भी साइबर सुरक्षा में निवेश कर सकें।

3. **उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और कार्यबल विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता :** नए साइबर खतरों से निपटने के लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और कार्यबल विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

4. **साइबर खतरों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और संकट प्रबंधन ढाँचों का विकास करना आवश्यक :** साइबर खतरों से निपटने के लिए रोकथाम के बजाय लचीलापन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र और संकट प्रबंधन ढाँचों का विकास करना आवश्यक है।

5. **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग की जरूरत :** वर्तमान समय में साइबर खतरों से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र और G-20 जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग करना चाहिए और विकसित देशों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए।

6. **भारत में साइबर सुरक्षा के लिए संस्थागत ढाँचों की स्थापना करने की आवश्यकता :** भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए कई विधायी उपायों और संस्थागत ढाँचों की स्थापना की है, जैसे IT अधिनियम, CERT-In, NCIIPC, और I4C। इसके साथ ही, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और क्षेत्र-विशिष्ट विनियम जैसे सेबी द्वारा अनिवार्य साइबर सुरक्षा ढाँचों को लागू किया गया है।

निष्कर्ष :

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में बढ़ते साइबर खतरों और रणनीतिक निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राष्ट्रों को महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। वैश्विक स्तर पर जैसे-जैसे साइबर खतरे जटिल होते जा रहे हैं, देशों को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अपने महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों की रक्षा और उसकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

स्त्रोत – इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. साइबर सुरक्षा को केवल एक खर्च के रूप में देखा जाना चाहिए।
2. साइबर सुरक्षा में रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
3. साइबर सुरक्षा कौशल अंतराल में कमी नहीं हो रही है।
4. इसमें सार्वजनिक-निजी सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2025 में जिन प्रमुख मुद्दों पर चिंता जताई गई है, उन्हें रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है?
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत में 16 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 मनाया गया।
- वर्ष 2025 में स्टार्टअप इंडिया योजना के 9 वर्ष पूरे हुए, जिसे 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था। भारत में इस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इस पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स का समर्थन करना और निवेश को आकर्षित करना है।
- राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 का मुख्य विषय – #9YearsOfStartupIndia और #उद्यमोत्सव है।

स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य और प्रभाव :

- स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरूआत वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह केन्द्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी सरकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान करना है। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य नवाचार, उद्यमन शीलता और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जिसमें कर लाभ, सरल अनुपालन प्रक्रियाएँ और बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य प्रावधान :

1. फंड ऑफ फंड्स (FFS) : इस योजना के प्रारंभिक चरण में वित्तीय सहायता हेतु 10,000 करोड़ रुपए का कोष उपलब्ध कराया जाता है।
2. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) : इसके तहत स्टार्टअप्स को उत्पाद परीक्षण, प्रोटोटाइप विकास और संकल्पना के प्रमाण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
3. ऋण गारंटी योजना (CGSS) : इस योजना के प्रावधानों के तहत स्टार्टअप्स को संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा या ऋण की गारंटी की सुविधा मिलती है।

4. **बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP) :** इसके तहत स्टार्टअप्स को पेटेंट, ट्रेडमार्क और बौद्धिक संपदा अधिकारों की पंजीकरण में कम लागत पर सहायता मिलती है।

स्टार्टअप इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएँ :

1. **स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करना :** सरल पंजीकरण और पात्रता प्रक्रिया।
2. **इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का सरलीकरण और स्वीकृति :** स्व-प्रमाणन और बिना किसी बाधा के स्वीकृतियाँ।
3. **तीन वर्षों तक कर पर छूट होने का प्रावधान :** चयनित स्टार्टअप्स को लाभ पर तीन वर्षों तक कर छूट दी जाती है।
4. **केंद्रित विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के तहत क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ :** जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेष पहलें।
5. **मेंटरशिप कार्यक्रम के द्वारा मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता का निर्माण करने पर जोर देना :** स्टार्टअप इंडिया हब और मेंटरशिप कार्यक्रम उद्यमियों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

स्टार्टअप इंडिया योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ :

1. **भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि होना :** DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 1.59 लाख हो गई।
2. **विश्व स्तरीय इकोसिस्टम का निर्माण होना :** भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं।
3. **रोजगार के अवसरों का सृजन करना :** अक्तूबर, 2024 तक, स्टार्टअप्स ने IT सेवाओं (2.04 लाख) और हेल्थकेयर और लाइफसाइंसेज (1.47 लाख) जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ 16.6 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन किया है।
4. **उद्यमिता के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी :** वर्ष 2024 तक, 73,151 स्टार्टअप्स में कम-से-कम एक महिला निदेशक है, जो उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
5. **गैर-मेट्रो शहरों में स्टार्टअप्स का पारिस्थितिकी तंत्र का विकसित और वृद्धि होना :** इसके तहत भारत के विभिन्न राज्यों के गैर-मेट्रो शहरों में स्टार्टअप्स का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित और सशक्त हुआ है।

स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण पहलें :

1. **स्टार्टअप महाकुंभ :** यह राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में उद्यमिता और नवाचार को प्रदर्शित करता है। 2024 में 48,000 आगंतुकों और 392 वक्ताओं ने इसमें भाग लिया। वर्ष 2025 के संस्करण में भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया।
2. **ASCEND :** यह पहल पूर्वोत्तर राज्यों के उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करती है, जिससे उनकी उद्यमिता क्षमता में वृद्धि होती है।
3. **स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह :** यह सप्ताह राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उद्यमिता का उत्सव मनाता है और नवाचार को बढ़ावा देता है।
4. **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव :** भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, स्टार्टअप-20 समूह की स्थापना की गई है, जो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और देशों के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करता है।
5. **भास्कर (भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री) :** यह डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेशकों, सलाहकारों और सरकारी निकायों को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ता है, जिससे संसाधन और अवसरों की खोज करने में आसानी होती है। यह भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है और गैर-मेट्रो क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को सशक्त बनाता है।

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :

1. **पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना :** भारतीय स्टार्टअप्स, विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में, पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, अगस्त 2024 में इन शहरों में वित्तपोषण घटकर 630 करोड़ रुपये रह गया, जो जुलाई 2024 में 2,202 करोड़ रुपये था, और नवंबर 2024 में यह और घटकर 202 करोड़ रुपये हो गया। यह असमानताएँ टियर-I और अन्य शहरों के बीच वित्तीय संसाधनों में अंतर को दर्शाती हैं।
2. **स्टार्टअप्स को अनुपालन संबंधी विनियामक बाधाओं का सामना करना :** भारत में जटिल और अस्पष्ट विनियामक ढांचा स्टार्टअप्स के लिए बड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर, ओला और उबर जैसी ऐप-आधारित सेवाओं को मोटर वाहन अधिनियम के तहत वर्गीकृत करने पर उत्पन्न अनिश्चितताएँ परिचालन को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2024, के कारण स्टार्टअप्स को अनुपालन संबंधी नई कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

3. **विस्तार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना :** विभिन्न शोधों के अनुसार, मजबूत वृद्धि के बावजूद लगभग 90% स्टार्टअप पहले 5 वर्षों के भीतर विफल हो जाते हैं, जिनका प्रमुख कारण विस्तार में समस्याएँ, परिचालन में अक्षमता और नए बाजारों में प्रवेश में आने वाली दिक्कतें हैं।

4. **नकदी की कमी और बाजार समेकन जैसी समस्याओं का उत्पन्न होना :** भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में जैसे-जैसे प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है, कई क्षेत्रों में बाजार संतृप्त होने के कारण लाभ मार्जिन घट रहे हैं। विशेष रूप से एडटेक क्षेत्र में महामारी के बाद की मंदी ने इस प्रतिस्पर्द्धा को और तीव्र किया है, जिसके कारण नकदी की कमी और बाजार समेकन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. **विनियामक सैंडबॉक्स स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता :** आरबीआई के फिनटेक मॉडल की सफलता को देखते हुए, सभी क्षेत्रों में व्यापक विनियामक सैंडबॉक्स स्थापित करना चाहिए, जिससे स्टार्टअप्स को नियंत्रित वातावरण में नवीन उत्पादों का परीक्षण करने में मदद मिलेगी और इससे नियामक बोझ कम होगा।

2. **कौशल भारत पहल के तहत क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना :** उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे AI, ब्लॉकचेन, और IoT पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास कार्यक्रम कौशल भारत पहल के तहत बढ़ाए जा सकते हैं।

3. **हब-एंड-स्पोक मॉडल लागू कर विकेंद्रीकृत स्टार्टअप हब की स्थापना करने की जरूरत :** भारत में स्टार्टअप के लिए बुनियादी ढाँचे में सुधार और प्रोत्साहन के साथ, टियर-2 और टियर-3 शहरों को स्टार्टअप हब बनाने के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल लागू किया जा सकता है, जहां प्रमुख शहर आसपास के छोटे शहरों को सहयोग प्रदान करें।

4. **कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देने की जरूरत :** तकनीकी कंपनियों के लिए इज़रायल के मॉडल के तहत स्टार्टअप्स को तीन से बढ़ाकर पांच वर्षों तक कर लाभ प्रदान किए जा सकते हैं, और डीप-टेक उद्यमों के लिए अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।

5. **पेटेंट प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करने एव IP को संरक्षण देने की आवश्यकता :** भारत में पेटेंट प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करने के लिए फास्ट-ट्रैक परीक्षाएँ लागू की जा सकती हैं, और आईपी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जैसे जापान में पेटेंट परीक्षा समय को घटाकर 14 महीने किया गया है।

6. **स्टार्टअप्स के लिए सरकारी खरीद को बढ़ावा देना :** स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें व्यापक बाजार अवसर मिल सकें, जैसा कि अमेरिका में छोटी कंपनियों के लिए 23% खरीद लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे भारतीय उद्यमियों को बेहतर बाजार के अवसर मिलेंगे।

निष्कर्ष :

- स्टार्टअप इंडिया पहल ने न केवल भारतीय उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया है, बल्कि देश को वैश्विक मंच पर एक मजबूत पहचान दिलाई है। इसके विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं और भारत को एक प्रमुख नवाचार केंद्र बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पिछले 9 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया ने भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, जिससे नवाचार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिला है। 1.59 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ, भारत अब वैश्विक उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना और समावेशिता को सुनिश्चित करना आवश्यक होगा, विशेष रूप से जब देश 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है।

स्त्रोत – पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास :

Q.1. भारतीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न स्थितियों पर विचार कीजिए।

1. पर्याप्त वित्तपोषण की कमी
2. जटिल विनियामक ढांचा

3. बाजार समेकन की समस्याएँ

4. विस्तार से संबंधित समस्याएँ

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समक्ष उपरोक्त में से कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना के प्रमुख उपलब्धियों और मुख्य चुनौतियों को विश्लेषित करते हुए उसके समाधानात्मक उपायों पर तर्कसंगत चर्चा कीजिए।
(शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत – पाकिस्तान और सिंधु जल समझौता : संघर्ष बनाम सहमति

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ समिति ने यह घोषणा की है कि वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर स्थित किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं के डिज़ाइन से जुड़ी पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने में सक्षम हैं।
- इस समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इन परियोजनाओं से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष और पेशेवर दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न मतभेदों का समाधान हो सके।

सिंधु जल संधि क्या है ?

- सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty – IWT) सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी।
- इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच किया गया था।
- भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों पर अधिकार मिला था , जबकि जम्मू और कश्मीर से बहने वाली नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार मिला था।

वर्तमान समय में सिंधु जल संधि को लेकर विवाद का मुख्य कारण :

1. **जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की आपत्ति :** भारत ने अपनी सीमा पर कई जलविद्युत परियोजनाओं विशेषकर किशनगंगा और रतले की योजना बनाई है, जिससे पाकिस्तान को आपत्ति है। पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं पर तटस्थ विशेषज्ञ की जांच की मांग की है।

2. **जल का अनियोजित और असमान वितरण होना :** भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद का मुख्य कारण जल का अनियोजित और असमान वितरण है। भारत के कई जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पाकिस्तान को यह चिंता है कि यह उसके जल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

3. **राजनीतिक रूप से उत्पन्न तनाव :** सन 2016 में भारत के उरी नामक जगह पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने "खून और पानी" के बहाव के बारे में बहुत ही तल्ख और कठोर टिप्पणी की थी, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच के आपसी संबंधों में तनाव और बढ़ गया है।

4. **दोनों ही देशों के बीच होने वाले आपसी वार्ता में गतिरोध उत्पन्न होना :** भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है।

5. **सीमापार से पाकिस्तान द्वारा जारी आतंकवाद :** भारत ने सीमापार से जारी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के प्रभाव को भी इस संधि की समीक्षा की मांग का एक कारण बताया है।

6. **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संबंधी मुख्य मुद्दे :** भारत और पाकिस्तान के बीच के आपसी संबंधों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दे भी विवाद का एक प्रमुख कारण हैं।

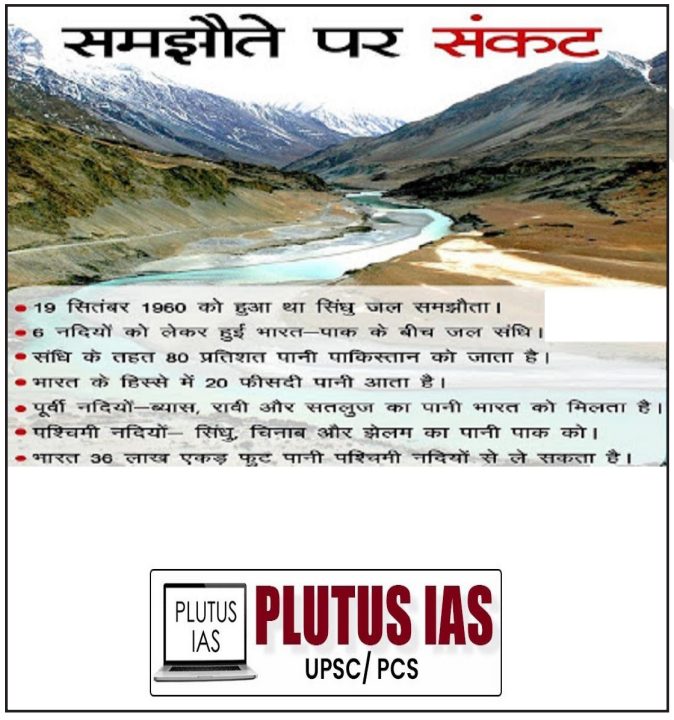

भारत का पक्ष :

- भारत का मानना है कि संधि के प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- भारत ने पाकिस्तान को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
- भारत ने सिंधु जल संधि के संदर्भ में अपने रूख को दृढ़ता से बनाए रखा है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि पाकिस्तान को अपनी चिंताओं को सुलझाने के लिए संधि के ढांचे के तहत बातचीत करने की आवश्यकता है।
- भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि वह जल संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए करेगा, जबकि पाकिस्तान को जल की न्यूनतम जरूरतों का सम्मान करना चाहिए।

समाधान की राह :

1. **आपसी वार्ता और संवाद से सिंधु जल संधि विवाद का समाधान करने की कोशिश करना :** भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों ही देशों को वार्ता की प्रक्रिया को पुनः शुरू करना चाहिए। यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष अपनी चिंताओं और आवश्यकताओं को आपस में साझा करें।

2. **अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेना :** यदि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच का द्विपक्षीय बातचीत असफल होती है, तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेना एक विकल्प हो सकता है। विश्व बैंक या अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की मध्यस्थता से विवाद का समाधान हो सकता है।

3. **पर्यावरणीय और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग करना :** जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों पर दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इससे जल संसाधनों के प्रबंधन में सहयोग बढ़ सकता है।

4. **निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए तटस्थ विशेषज्ञों की भूमिका तय करना :** पाकिस्तान के द्वारा तटस्थ विशेषज्ञों की मांग का सम्मान करते हुए, एक निष्पक्ष मूल्यांकन करना आवश्यक हो सकता है।

निष्कर्ष :

- सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसे वर्तमान समय की चुनौतियों के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता है। दोनों देशों को मिलकर इस संधि को बचाने और विवादों का समाधान निकालने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।
- वर्तमान विवाद दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए दोनों ही देशों के प्रमुख नेताओं को गंभीरता से इस समस्या का समाधान निकालने पर विचार करना चाहिए।
- सिंधु जल संधि के तहत जल संसाधनों का उचित प्रबंधन और उपयोग न केवल आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- सिंधु जल संधि का भविष्य भारत और पाकिस्तान के संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जुड़ा है।
- अगर दोनों देश आपसी समझदारी और आपसी संवाद को प्राथमिकता दें, तो इस 64 वर्ष पुरानी संधि को और भी मजबूत बनाया जा सकता है।
- वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और अक्षय ऊर्जा की जरूरतें इस जल संधि पर पुनर्विचार को अत्यंत आवश्यक बनाती हैं।
- अतः सिंधु जल संधि के मौजूदा विवादों को हल करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों ही देश अपने – अपने हितों को आपस में साधते हुए इस संधि को बचा सकें, जिसे कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने "विश्व की बहुत निराशाजनक तस्वीर" में "एक चमकदार बिंदु" करार दिया था।

स्त्रोत – पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. सिंधु जल संधि को लागू करने के लिए किस संगठन का गठन किया गया था और इस संधि के अंतर्गत कौन-सी नदियाँ भारत और पाकिस्तान के बीच बाँटी गई हैं?

सूची I (संगठन)	सूची II (नदियाँ)
1. विश्व बैंक	ब्रह्मपुत्र और मेघना
2. जल शक्ति मंत्रालय	गोदावरी और कृष्णा
3. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस	गंगा, यमुना और सिंधु
4. सिंधु जल आयोग	सिंधु, झेलम और चेनाब

उपर्युक्त सूचियों में से कौन सही सुमेलित है ?

A. केवल 1 और 3

B. केवल 2 और 4

C. केवल 3

D. केवल 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " सिंधु जल संधि पर लगातार उठ रही चिंताएं भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय हैं। " इस कथन के सन्दर्भ में क्या आपको लगता है कि भारत के लिए सिंधु जल संधि के मुद्दों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत करें। (शब्द सीमा- 250 अंक – 15)